# LL.B.6SEM. C.P.C.

## ORDER.8.WRITTEN STATEMENT.SETOFF AND COUNTER CLAIM.

BY.BANSHLOCHAN PRASAD.
ASSISTANT PROFESSOR.
NGB(DU).PRAYAGRAJ.

Scanned with CamScanner

**लिखित कथन** – जिस प्रकार वादी का अभिवचन वाद-पत्र है उसी भांति प्रतिवादी का अभिवचन लिखित कथन है | लिखित कथन वह दस्तावेज है जिसके माध्यम से प्रतिवादी वादी द्वारा लगाये गये अभिकथन या मांगे गये दावों का बचाव प्रस्तुत करता है |

**नियम 1** के अनुसार ऐसा लिखित कथन प्रतिवादी को उस पर समन की तामील से **30 दिन** के भीतर न्यायालय में दाखिल करना होगा | परन्तु जहां प्रतिवादी कथित **30 दिन** के भीतर अपना लिखित कथन न्यायालय में नहीं दाखिल कर पाता है, वहां न्यायालय उसको दाखिल करने की अवधि बढ़ा सकता है | परन्तु ऐसी अवधि या दिन **90 दिन** के पश्चात नहीं होगा | इस **90 दिन** की गणना, प्रतिवादी पर समन तामील होने से **90 दिन** है |

**नियम 2** के अनुसार प्रतिवादी को अपने लिखित कथन में नए तथ्यों का विशेष रूप से अभिकथन करना चाहिए जिससे यह दर्शाया जा सके कि वाद चालू रखने योग्य नहीं है, जैसे – परिसीमा या अधिकारिता का मामला या वह संव्यवहार जिस पर वाद आधारित है, शून्य या शून्यकरणीय है **जैसे** – कपट, दुर्व्यपदेशन या ऐसे तथ्यों का कथन करना चाहिए जिससे अवैधता दर्शाया जा सके |

**नियम 4** के अनुसार प्रतिवादी का वाद में के किसी तथ्य के अभिकथन का प्रत्याख्यान टालमटोल या बहाना करने वाला (भुलावा देने वाला) नहीं होना चाहिए वरन उसे सार की बात का उत्तर देना चाहिए |

**नियम 5** के अनुसार तथ्य सम्बन्धी हर अभिकथन जिसकी सत्यता प्रतिवादी द्वारा नहीं स्वीकारा जाता उसे विनिर्दिष्ट रूप से कहा जाना चाहिए |

Scanned with CamScanner

**मुजरा – नियम 6** के अनुसार मुजरा का अर्थ है, दूसरे के विरुद्ध किया गया दावा | इसे ऋण की पारस्परिक विमुक्ति भी कहते है |

**आवश्यक शर्ते** – कोई भी प्रतिवादी **नियम 6** के अधीन मुजरा की मांग तभी कर सकता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हो –

**1.** वाद धन की वसूली के लिए होना चाहिए |

**2.** धन की राशि अभिनिश्चित होनी चाहिए |

**3**. धनराशि वैध रूप से वसूली योग्य होनी चाहिए |

**4.** धनराशि प्रतिवादी के द्वारा या सभी प्रतिवादियों के द्वारा (यदि उसकी संख्या एक से अधिक हो) वसूली योग्य होनी चाहिए |

**5.** धनराशि प्रतिवादी द्वारा वादी से या सभी वादियों से (यदि उनकी संख्या एक से अधिक है) वसूली योग्य होनी चाहिए |

**6.** धनराशि उस न्यायालय (जिसमे वाद संस्थित किया गया है) की धन सम्बन्धी अधिकारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए, और

**7.** दोनों पक्षकारो का प्रतिवादी के विरुद्ध मुजरे के दावे में वही हैसियत होनी चाहिए जैसे कि उनकी हैसियत वादी के वाद में है |

**मुजरा के प्रकार** – यह निम्न **दो प्रकार** का होता है –

**1.** वैध मुजरा

**2.** साम्यिक मुजरा

**वैध मुजरा** – वैध मुजरा वही है, जिसका उल्लेख **आदेश 8 नियम 6** में है |

Scanned with CamScanner

**साम्यिक मुजरा** – जिस मुजरा को ईक्विटी न्यायालयों ने अनुज्ञात किया है, भले ही दावे की रकम अनिश्चित रही हो, उसे साम्यिक मुजरा कहा गया है।

भारत में **आदेश 20 नियम 19(3)** की मूल भाषा में – "इस अधिनियम के उपबंध वहां लागू होंगे चाहे मुजरा आदेश 8 नियम 6 के अधीन या अन्यथा अनुज्ञेय हो।"

**वैध और साम्यिक मुजरा में अंतर** –

**1.** वैध मुजरा में दावाकृत धनराशि अभिनिश्चित होना आवश्यक है किन्तु साम्यिक मुजरा अनिश्चित धनराशि के लिए भी हो सकता है।

**2.** वैध मुजरा साधिकार माना जा सकता है जबकि साम्यिक मुजरा साधिकार नहीं माना जा सकता यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वह उसका अनुज्ञात करे या न करे।

**3.** वैध मुजरा में यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिदावे एक ही संव्यवहार की उत्पत्ति हो जबकि साम्यिक मुजरा की मांग के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिदावे एक ही या उसकी संव्यवहार की उत्पत्ति हो।

**4.** वैध मुजरा के लिए यह आवश्यक है कि दावाकृत धनराशि वैध रूप से वसूली योग्य हो तथा जो परिसीमा विधि द्वारा कालबाधित न हो जबकि साम्यिक मुजरा वहां भी अनुज्ञात किया जा सकता है जहां वह परिसीमा अधिनियम द्वारा वर्जित हो, बशर्ते कि दोनों पक्षकारो के सम्बन्ध वैश्वासिक हो।

**5.** वैध मुजरा में न्यायालय शुल्क देय होता है जबकि साम्यिक मुजरा में ऐसा आवश्यक नहीं है।

Scanned with CamScanner

**मुजरा और प्रतिदावे में अंतर –**

**1.** मुजरा वादी की कार्यवाही का वैध बचाव है, किन्तु प्रतिदावा सारभूत रूप से एक प्रतिवाद है |

**2.** मुजरा एक अभिनिश्चित धनराशि के लिए होना चाहिए और इसकी उत्पत्ति उसी संव्यवहार से हुई हो किन्तु प्रतिदावा के लिए यह आवश्यक नही है कि इसकी उत्पत्ति उसी संव्यवहार से हुई हो |

**3.** वैध मुजरा के लिए यह आवश्यक है कि वह वाद संस्थित किये जाने की तिथि पर वैध रूप से वसूली योग्य हो किन्तु प्रतिदावा लिखित कथन की तिथि पर वसूली योग्य होना चाहिए |

**4.** मुजरा बचाव का एक वैध साधन है जिसका उपयोग ढाल की तरह किया जाता है वहीँ प्रतिदावा बचाव का वैध साधन नही है और उसका उपयोग तलवार की तरह किया जाता है, यह आक्रमण का हथियार है |

**5.** जब प्रतिवादी वादी के वाद के अंतर्गत उतनी ही धनराशि तक के लिए या उससे कम धनराशि के लिए जितना वादी द्वारा वाद में माँगा गया है, मुजरा की मांग करता है तो उसे कठोर अर्थों में मुजरा कहते हैं परन्तु जहां मुजरा की मांगी गयी धनराशि वादी द्वारा मांगी गयी धनराशि से अधिक है वहां ऐसे अधिक धनराशि को प्रतिदावा कहा जाएगा |

Scanned with CamScanner

**प्रतिदावा** – वादी द्वारा मांगे गये अनुतोष को असफल करने के लिए प्रतिवादी जिन अभिवचनो का सहारा लेता है उसे प्रतिदावा कहते है | इस सम्बन्ध में सुसंगत प्रावधान **आदेश 8 नियम 6-A से 6-G** तक प्रावधानित किया गया है |

**शर्तें** – प्रतिवादी प्रतिदावा निम्नलिखित परिस्थितियों में या शर्तों के साथ उठा सकता है –

**1.** प्रतिदावे से प्रतिवादी के मुजरा के अभिवचन का अधिकार प्रभावित नही होता | यह मुजरा के अतिरिक्त स्थापित किया जा सकेगा |

**2.** ऐसे प्रतिदावे का अधिकार प्रतिवादी में जिस वाद हेतुक से उत्पन्न हुआ है, वह चाहे वाद संस्थित होने से पूर्व या पश्चात किन्तु प्रतिवादी द्वारा अपनी प्रतिरक्षा पेश किये जाने से पूर्व या पेश किये जाने के लिए निश्चित समय के समाप्त होने से पूर्व प्रोद्भूत हुआ हो |

**3.** ऐसा प्रतिदावा न्यायालय की अधिकारिता की धन सम्बन्धी सीमाओं से अधिक नही होगा | प्रतिवादी अपने प्रतिदावे को अपना लिखित कथन न्यायालय में दाखिल करने के साथ-साथ स्थापित कर सकेगा | यदि लिखित कथन नही है तो प्रतिदावा ग्रहण नही किया जायेगा |

**4.** वादी द्वारा स्थापित दावे या मांगे गये दावे और प्रतिवादी द्वारा स्थापित प्रतिदावे के बीच कुछ सम्बन्ध अवश्य होना चाहिए |

Scanned with CamScanner

**<u>प्रतिदावे का प्रभाव</u>** – वास्तव में ऐसे प्रतिदावा का प्रभाव प्रतीपवाद के समान होगा जिससे न्यायालय एक ही वाद को मूल दावे और प्रतिदावे दोनों के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय सुनाने के लिए समर्थ हो जाये | प्रतिदावे को वाद-पत्र के रूप में ही माना जाता है और इस कारण उस पर भी वहीँ नियम लागू होंगे जो वाद-पत्र पर लागू होते हैं | वादी को इस बात की पूरी स्वतंत्रता होगी कि वह प्रतिवादी के प्रतिदावे के उत्तर में लिखित कथन पेश कर सकेगा |

यहाँ यह स्मरण करने योग्य होगा कि मुजरा और प्रतिदावा वाद जिससे की इनका सम्बन्ध है, की परिधि और सीमा से बाहर नही जा सकते | यह ऐसी कोई चीज नही ला सकते जो वाद के लिए बिल्कुल अंजाना हो अर्थात उनके माध्यम से ऐसी किसी चीज की मांग नही की जा सकती जो वाद के लिए अंजाना हो |

**नियम 6-B** के अनुसार जहां कोई प्रतिवादी, प्रतिदावे के अधिकार का समर्थन करने वाले किसी आधार पर निर्भर करता है वहां वह अपने लिखित कथन में यह विनिर्दिष्टतः कथन करेगा कि वह ऐसे प्रतिदावे के रूप में कर रहा है |

**<u>वाद के बंद कर दिए जाने का प्रभाव</u> – नियम 6-D** के अनुसार यदि किसी ऐसे मामले में जिसमें प्रतिवादी कुछ प्रतिदावा उठाता है, वादी का वाद रोक दिया जाता है या बंद या खारिज कर दिया जाता है तो ऐसा होने पर भी प्रतिदावे पर कार्यवाही की जा सकेगी |

Scanned with CamScanner